



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

सिविल विविध पुनर्विलोकन आवेदन दोषपूर्ण - संख्या 49/2026

श्री कृपा शंकर बाजपेयी

आवेदक(कों)

बनाम

मेसर्स जागरण प्रकाशन लिमिटेड और अन्य

विरोधी पक्ष

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : गुलाब चंद्र तिवारी, उदय शंकर तिवारी
विरोधी पक्षों के अधिवक्ता : हरि नारायण सिंह

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश
माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र

- यह पुनर्विलोकन याचिका इस न्यायालय द्वारा विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 987/2025 में दिनांक 04.12.2025 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा अपील को सुनवाई योग्य न होने के कारण खारिज कर दिया गया था।
- आवेदक ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ('अधिनियम') की धारा 33सी (2) के तहत विविध मामले संख्या 2 वर्ष 2013 में वाराणसी श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश से उत्पन्न रिट - सी संख्या 11429 वर्ष 2025 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अंतरिम आदेश दिए जाने को चुनौती दी थी।
- इस न्यायालय ने पक्षकारों की सुनवाई के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियम, 1952 ('नियम') के अध्याय VIII नियम 5 के प्रावधानों और मामले में उच्च पीठ के निर्णय के मद्देनजर, शीट गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य : 2010 (1) ए.डी.जे. 1 (एफ.बी.) और वजरा योजना सीड फार्म, कल्याणपुर बनाम पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय द्वितीय, यूपी कानपुर और अन्य: (2003) 1 यूपीएलबीईसी 496, अपील सुनवाई योग्य नहीं है और परिणामस्वरूप, इसे सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया गया।
- आवेदक के अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया कि न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय और अधिनियम की धारा 33सी(2) के तहत पारित आदेश अलग-अलग आधार पर हैं और इनकी तुलना नहीं की जा सकती है, इसलिए, ऐसे मामले में जहां अधिनियम की धारा 33सी(2) से संबंधित मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 227 के तहत विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा आदेश पारित किया जाता है, अपील विचारणीय होगी।
- उक्त दलील बृहत् पीठ के फैसले और नियमों के अध्याय VIII नियम 5 के प्रावधानों की गलत व्याख्या पर आधारित है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए किसी न्यायाधिकरण, न्यायालय या वैधानिक मध्यस्थ द्वारा दिए गए किसी निर्णय, आदेश या पुरस्कार के संबंध में एक न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध विशेष अपील विचारणीय नहीं होगी। अधिनियम की धारा 33C(2) के अंतर्गत पारित आदेश भी उक्त निषेध के अंतर्गत आएगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. परिणामस्वरूप, पुनर्विलोकन याचिका में कोई दम नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

फरवरी, 2026
ज्योत्सना/मुकेश पाल

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र) (न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, सी.जे.) 13

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"